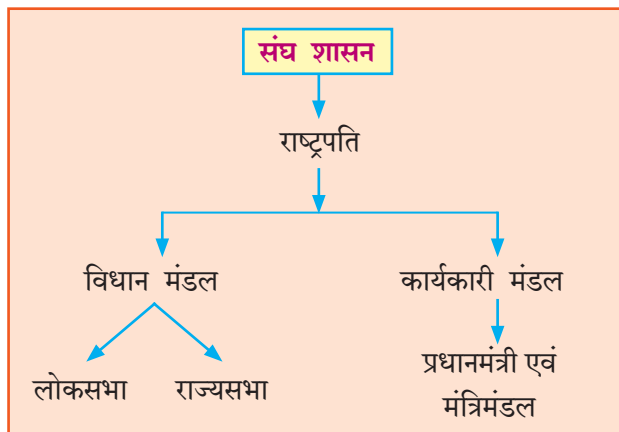


३. केंद्रीय कार्यकारी मंडल

पिछले पाठ में हमने केंद्रीय स्तर पर विधान मंडल अर्थात् संसद की रचना और कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। प्रस्तुत पाठ में हम केंद्रीय कार्यकारी मंडल का अध्ययन करने वाले हैं।

संघ शासन की संरचना : संघ शासन अर्थात् केंद्र शासन। संघ शासन के निम्न मुख्य घटक हैं।



विधान मंडल, कार्यकारी मंडल और न्यायमंडल ये शासन संस्थाओं की तीन शाखाएँ हैं और जनता का हित ध्यान में रखकर जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, यह आप जानते ही हैं। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधान मंडल का ही अंग होता है और वह विधान मंडल के लिए ही उत्तरदायी होता है।

रमा : राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख और प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख हैं। दोनों पदों पर काम करनेवाले व्यक्तियों में किस प्रकार के संबंध रहते हैं?

त्तिरा : मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियमित रूप से मिलते हैं और वे शासन किस प्रकार चलाते हैं, इसकी जानकारी देते हैं।

हाँ ! यह सही है। प्रधानमंत्री देश का शासन और नये-नये कानून, नीतियों की जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं अर्थात् यह जानकारी प्राप्त करने का राष्ट्रपति को अधिकार है।

इस कार्यकारी मंडल में किनका समावेश रहता है, संविधान में इस संदर्भ में कौन-से प्रावधान किए गए हैं, कार्यकारी मंडल लोगों के हितों के लिए कैसी नीतियाँ बनाता है आदि बातों की हमें कार्यकारी मंडल का अध्ययन करते समय जानकारी प्राप्त करनी है।

भारत के केंद्रीय कार्यकारी मंडल में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का समावेश रहता है।

राष्ट्रपति : भारत के संविधान में निहित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च राष्ट्रप्रमुख है। राष्ट्रपति का पद बहुत ही सम्मान और प्रतिष्ठा का पद है और वे गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान ने राष्ट्रपति को देश की संपूर्ण कार्यकारी सत्ता दी है। देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है। ऐसा होने पर भी प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल ही शासन चलाता है। इसलिए राष्ट्रपति नामधारी संवैधानिक प्रमुख हैं तो प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख हैं।

राष्ट्रपति का चुनाव : राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप में लोगों द्वारा किया जाता है। भारत के आम मतदाता राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करते हैं बल्कि उनके द्वारा चुने गए संसद सदस्यों और राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। संसद सदस्य और राज्य विधान सभा के सदस्यों के गुट को निर्वाचन मंडल कहा जाता है।

राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु ३५ वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद पर चुने गए व्यक्ति को अपना पद स्वीकारते समय शपथ लेनी पड़ती है। उसके अनुसार संविधान की रक्षा करना और संविधान के अनुसार शासन चलता है या नहीं; यह देखने की

जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति शासन चलाते हैं।

संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है, परंतु अगर राष्ट्रपति का कोई आचरण संविधान का उल्लंघन करनेवाला हो तो उन्हें पद से हटाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इस प्रक्रिया को 'महाभियोग' प्रक्रिया कहा जाता है। यदि राष्ट्रपति से संविधान का उल्लंघन हुआ हो या किसी सदन द्वारा ऐसा आरोप लगाया जाता है तो दूसरे सदन द्वारा उन आरोपों की जाँच-पड़ताल की जाती है। दोनों सदनों के विशेष बहुमत (२/३) से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। तत्पश्चात राष्ट्रपति अपने पद से दूर होते हैं।

राष्ट्रपति के कार और अलंकार : संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कई कार्य प्रदान किए हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

(१) राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाना, स्थगित करना, संसद को संदेश भेजना, लोकसभा के पूर्णावधि के बाद या समय से पहले बरखास्त करना ये सभी अधिकार प्राप्त है।

(२) लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। उनके हस्ताक्षर के बिना विधेयक का कानून में परिवर्तन नहीं होता है।

(३) राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनके द्वारा सुझाए गए व्यक्तियों की मंत्री पद पर नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

(४) राष्ट्रपति उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। साथ ही; सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं।

(५) राष्ट्रपति भारत के तीनों रक्षा दलों के सर्वोच्च प्रमुख होते हैं। युद्ध और शांति संबंधी सभी निर्णय राष्ट्रपति लेते हैं।

(६) राष्ट्रपति को कुछ न्यायालयीन अधिकार भी प्राप्त हैं। उदा., किसी व्यक्ति की सजा घटाना, सजा

की तीव्रता कम करना अथवा अपवादात्मक परिस्थिति में मानवतावादी भूमिका से सजा कम करने का या रद्द करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है।

(७) देश में आपातकालीन परिस्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। (१) राष्ट्रीय आपातकाल (२) राज्यों में आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन (३) आर्थिक आपातकाल।

राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति इनके दायित्वों का निर्वाह करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है।



करके देखें-

राष्ट्रपति को दी जाने वाली शपथ का मसौदा प्राप्त करो। अध्यापकों की मदद से उसका आशय समझ लो।

धानमं और उनका मं मंडी : राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। उनके पास नाममात्र सत्ता रहती है, और प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल शासन चलाते हैं, ये हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री कौन-से कार्य और भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं, यह अब हम देखेंगे।

चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है; वह दल अपने नेता का प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव करता है। इसी दल के विश्वासपात्र सहयोगियों को प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों का संसद सदस्य होना आवश्यक होता है। न होने पर उन्हें छह माह के भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सही अर्थ में शासन चलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि, शासन की वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है।

धानमं के कार

(१) प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के विश्वासपात्र सहयोगियों को प्राथमिकता देते हैं पर उसके साथ मंत्रियों का चयन करते समय उनका प्रशासकीय अनुभव, शासन कौशल, कार्यक्षमता, विषयज्ञान आदि बातों का भी विचार करते हैं।

(२) मंत्रिमंडल में किनका समावेश करना है; यह तय होने के बाद प्रधानमंत्री उनको विभागों का वितरण करते हैं।

(३) प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं। मंत्रिमंडल की सभी सभाएँ उनकी अध्यक्षता में होती हैं।

(४) विभागों का वितरण करने के पश्चात प्रधानमंत्री को विविध विभागों में समन्वय रखना, परस्पर सहकारिता को बढ़ावा देना, विभागों का कार्य पूरी कार्यक्षमता से होता है या नहीं यह देखना, आदि कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं।

(५) अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिमा को ऊँचा उठाना वैश्विक जनमत को अपने अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न करना, देश की जनता को आश्वस्त करना, आपदा समय में आपदग्रस्तों की सहायता करना आदि कार्यों का प्रधानमंत्री को निर्वाह करना पड़ता है।

मं मंडि के कार

(१) संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल कानून निर्मिति में अग्रसर रहता है। उसका प्रारूप तैयार



क्या तुम जानते हो ?

क्या तुमने 'जंबो' मंत्रिमंडल शब्द सुना है ? इसका अर्थ है - बहुत बड़ा मंत्रिमंडल। अपने देश में मंत्रिमंडल का आकार बड़ा रखने की तरफ ध्यान दिया जाता है। मंत्रिमंडल का आकार सीमित हो, इसलिए संविधान में प्रावधान किया गया है। उसके अनुसार मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के १५% से अधिक नहीं होगी, ऐसा निश्चित किया गया है।

करके उसपर चर्चा की जाती है। और तत्पश्चात उसे संसद के सदन में प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिमंडल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करके निर्णय लेता है।

(२) मंत्रिमंडल को शिक्षा, कृषि, उद्यम, स्वास्थ्य, विदेश व्यवहार आदि अनेक विषयों पर एक निश्चित नीति अथवा कार्य की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के संबंध में संसद को विश्वास में लेना पड़ता है। इसलिए मंत्रिमंडल के मंत्री अपने विभाग की नीति को संसद में प्रस्तुत कर उसे संसद की मंजूरी पाने की कोशिश करते हैं।

(३) मंत्रिमंडल की मुख्य जिम्मेदारी नीतियाँ कार्यान्वित करने की होती है। संसद द्वारा उन नीतियों को या कानून प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने पर मंत्रिमंडल उसे अमल में लाता है।

संसद मं मंडि पर लक्ष्य कार लनर री ती है?

संसदीय शासन प्रणाली में संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करती है। कानून अथवा नीतियों की निर्मिति, उसे अमल में लाना और उसके पश्चात संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। इस नियंत्रण के कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

(१) **च और त्विार- त्ति** : कानून बनाते समय संसद सदस्य चर्चा और विचार-विमर्श करके मंत्रिमंडल को उनकी नीतियों और कानून में निहित कमियाँ दिखाते हैं। कानून को निर्दोष बनाने की दृष्टि से यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होती है।

(२) **कारि** : संसद सत्र के समय सदन की कार्यवाही की शुरुआत संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से होती है। इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा देना आवश्यक होता है। प्रश्नकाल मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक बहुत ही प्रभावी उपाय है। शासन की आलोचना करना, प्रश्न उपस्थित करना यह इसी समय होता है। मंत्रियों के उत्तर से संतुष्ट न होने पर विवाद उत्पन्न

हो सकता है। अपना निषेध व्यक्त करने हेतु कुछ समय के लिए संसद सदस्य सभात्याग करते हैं अथवा घोषणाबाजी करते हुए सदन के बीच स्थान में इकट्ठा होते हैं।

(३) शून्य कार्ग : अधिवेशन सत्र के समय दोपहर १२ बजे का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। इस समय सार्वजनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण किसी भी विषय पर चर्चा कराई जा सकती है।

(४) अर्त्ती स : मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का यह एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। लोकसभा में सरकार को जब तक बहुमत है, तब तक सरकार कार्य कर सकती है। यदि यह बहुमत संसद सदस्य निकाल लेते हैं तो सरकार अथवा

मंत्रिमंडल सत्ता में नहीं रह सकता। 'हमारा मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं रहा' कहकर संसद सदस्य अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत ला सकते हैं। अगर बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है।



बताओ तो ?

संसद सदस्यों को चर्चा में प्रभावी रूप में सहभागी होने के लिए क्या करना चाहिए ?

कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में व्यापक नौकरशाही होती है। नौकरशाही की संरचना का अध्ययन हम छोटे प्रकरण में करने वाले हैं।



१. लम्ब तर्क से उलच तर्क चुनकर त्वि तर्क से लर्ी।

- (१) भारत की कार्यकारी सत्ता के पास होती है।
(राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष)
- (२) राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्ष का होता है।
(तीन, चार, पाँच)
- (३) मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं।
(पार्टी प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति)

२. पहचानो और लर्ी।

- (१) राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का भारत के जिस मंडल में समावेश होता है, उस मंडल का नाम -
- (२) अधिवेशन सत्र में दोपहर १२ बजे का समय इस नाम से जाना जाता है -

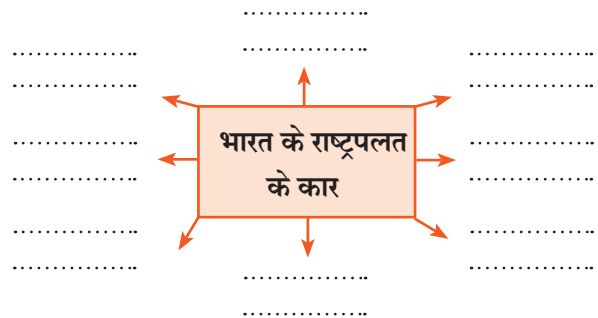
३. लम्ब संक नाँ अपने शब्द लर्ी।

- (१) महाभियोग प्रक्रिया
- (२) अविश्वास प्रस्ताव
- (३) जंबो मंत्रिमंडल

४. ेप उत्तर लर्ी।

- (१) मंत्रिमंडल के कार्य स्पष्ट करो।
- (२) संसद मंत्रिमंडल पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है ?

५. लम्ब संक नालच पूण करो।



उप म

- (१) अगर तुम प्रधानमंत्री बन जाओ तो तुम किन कार्यों को प्राथमिकता दोगे, उनकी प्राथमिकता के आधार पर सूची बनाकर कक्षा में प्रस्तुत करो।
- (२) भारत के राष्ट्रपतियों के चित्र और जानकारी प्राप्त करो।

